

पब्लिक नोटिस

दमण नगरपालिका द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि संघ प्रदेश द्वारा 11/05/2018 को संपत्ति कर से संबंधित imposing of a Consolidated Tax on land and buildings in Municipal Area Rules 2018 को अधिसूचित किया गया था ।

यह नियम www.daman.nic.in/http://dmcdaman.in/services/#/onlineServices/property-tax वेब साइट्स पर उपलब्ध है।

इस नियम के अन्तर्गत समस्त संपत्तियों को (श्रेणी) category 3 में रखा गया है ।

दमण नगरपालिका समस्त संपत्तियों का मूल्यांकन (Assessment) भी कर चुकी है और जल्द ही इस मूल्यांकन सूची (Assessment List) को प्रकाशित किया जायेगा ।

(मुख्य अधिकारी)
दमण नगरपालिका
दमण

No. 2/2-27/DMC/2019-20

Dated :-